न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 03/2020
दायर दिनांकः 17.06.2020
निर्णय दिनांकः 29.03.2022

उनवान

राजन्ती पुत्री गंगासहाय पत्नी किशन लाल जाति मीना निवासी बनीकाबास ,सकट तह.राजगढ़।
कमला पुत्री गंगासहाय पत्नी शिम्भूदयाल जाति मीना निवासी गुढ़लिया झुपड़ियान की ढ़ाणी तहसील, बसवा जिला दौसा।

अपीलांट्स

बनाम

फैलीराम पुत्र गंगासहाय जाति मीना निवासी गोठड़ा तहसील, दौसा।
सीमा पुत्री कैलाश जाति मीना निवासी गोठड़ा तहसील, दौसा।
ग्राम पंचायत गोठड़ा तहसील, दौसा जरिये सचिव ग्राम पंचायत गोठड़ा।
उपतहसीलदार, भाण्ड़ारेज तहसील, दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–1 श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत गोठड़ा तहसील, दौसा नामान्तकरण संख्या 344 दिनांक 11.06.2006 ग्राम गोठड़ा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील ान्तकरण संख्या 344 ग्राम गोठड़ा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा दिनांक 06.2006 को दिये गये निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वाके ग्राम गोठड़ा ील, दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 372, 373, 378 लगायत 389, 389/2702, 499 किता 16 रकबा 37.08 है0 की सह–खातेदार अपीलान्ट्स की माता घीसी देवी पत्नी सहाय जाति मीना निवासी गोठड़ा थी। इसी प्रकार वाके ग्राम गोठड़ा में स्थित कृषि भूमि रा नम्बर 1653, 1655 लगायत 1694, 1669/2732, 1702, 1703, 374 लगायत 377, 483 यत 497, 506 लगायत 512, 721 लगायत 727 कुल किता 77 रकबा 10.11 है0 की -खातेदार व काबिज काश्तकार भी अपीलान्ट्स की माता [illegible] पत्नी गंगासहाय जाति निवासी गोठड़ा थी। गंगासहाय के दो पुत्र कैलाश व फैलीराम व दो पुत्रियां राजन्ती व ा है। जिनमें से कैलाश का देहान्त हो गया है और कैलाश की पत्नी व पुत्रों का भी देहान्त या है। उसके एक मात्र पुत्री सीमा है। इस प्रकार [illegible] के वारिसान सीमा पुत्री ा चन्द व फैलीराम पुत्र गंगासहाय तथा राजन्ती, कमला पुत्रियां गंगासहाय है। इनके ा कोई वारिसान नहीं है। घीसी पत्नी गंगासहाय जाति मीना निवासी गोठड़ा के वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:05:05 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी दौसा (रा.)

लगातार....2...

अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 व कैलाश चन्द होने के बावजूद भी बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये पटवारी हल्का ने घीसी पत्नी गंगासहाय के वारिस मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 व कैलाश चन्द को ही मानकर नामान्तकरण भरकर और गिरदावर को पेश कर दिया। गिरदावर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि वारिसान की सही जानकारी कर निस्तारण करे। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गोठड़ा ने बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व नोटिस दिये बिना विधि विरूद्ध तरीके से उक्त घीसी देवी का नामान्तरकरण मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 व कैलाश न्द के नाम नामान्तरकरण संख्या 344 ग्राम गोठड़ा दिनांक 11.06.2006 को तस्दीक कर या। जिसकी अपीलान्ट्स को कतई जानकारी नहीं थी। उक्त जानकारी होने पर अपील पीलान्ट्स पेश कर निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत गोठड़ा का देश दिनांक 11.06.2006 जो नामान्तरकरण संख्या 344 ग्राम गोठड़ा पर पारित किया है, को रस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देवे कि घीसी देवी पत्नी गंगासहाय की विरासत का मान्तकरण अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 व 02 के नाम भरकर तस्दीक करें।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ड्स की तलबी की गई। मूल नामान्तरकरण संख्या 4 ग्राम गोठड़ा तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स की ओर अपील में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। सम्बन्ध में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निर्णय 23.02.2021 की नकल प्रस्तुत गई। रेस्पोडेन्ट्स नं0 01 व 02 द्वारा निवेदन किया गया कि नामान्तकरण तस्दीक करने में ई कानूनी गलती हुई है, तो उसे दुरस्त करने हेतु नियमोचित कार्यवाही किये जाने में पोडेन्ट्स नं 01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं है। हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का नपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत निर्णय दिनांक 23.02.2021 का रण समान प्रकृति का प्रतीत होता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में पीडित पक्षों का नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 344 दिनांक 11.06.2006 ग्राम गोठड़ा को रिमाण्ड किया जाना योचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ोलाधीन नामान्तकरण संख्या 344 दिनांक 11.06.2006 ग्राम गोठड़ा को निरस्त किया जाकर आशय के साथ रिमाण्ड़ किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य तुत करने का अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधि सम्मत र्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तरकरण वापस लौटाया जावे। निर्णय खुले यालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 1
Reason: SelfAttested

(... कुमार गोरा)
... अधिकारी
दौसा